संख्या-198/2020/1465/22-2-2019-17(515)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 18 जून, 2020*

विषय:- जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जसकरन सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह, निवासी जनपद-हरदोई की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-551/प्रोबे0-5/द0या0 बैठक-20-11-2018 दिनांक 08-01-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जसकरन सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह, जो ग्राम-सरेहरी, थाना-कासिमपुर, जनपद-हरदोई का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 26.11.1980 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गोली से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-290/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 29.07.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.04.2014 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31.10.2014 द्वारा उक्त दण्ड को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.08.2018 तक 04 वर्ष 08 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष 09 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी जसकरन सिंह (बन्दी संख्या-1365/14) पुत्र श्री सुमेर सिंह, निवासी जनपद-हरदोई की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-198/2020/1465(1)/22-2-2019 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, हरदोई।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in